

अदालत:- उपखण्ड अधिकारी मुकाम:- राजाखेडा

नुरारीलाल

बनाम

रामप्रकाश वगै०

किस्म मुकदमा:- दावा U/S 53, 188 R.T.Act. नम्बर.....34.....सन् 23.....

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
18.05.2023	दावा बाद जांच दफ्तर से पेश हुआ। दावा दर्ज रजिस्टर होकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया जावे। पत्रावली दिनांक 05.07.2023 को पेश हो।	
27.06.2023	वासी के प्रार्थना पत्र पर पत्रावली दफ्तर से तलब की गई। वासी के जरिए अधिवक्ता प्रार्थना पत्र खारिज किए जाने का पत्र पेश किया जाकर निवेदन किया कि एक पक्षियों के मध्य लोक अदालत की भावना से समझौता हो गया है। प्रकरण को कोन्टेस्ट (contest) नहीं करना चाहते। हमारा वाद पत्र इसी स्तर पर खारिज किया जावे। हमने वासी व उनके अधिवक्ता को मुना, पत्रावली का अवलोकन किया। वासी के नम्बर प्रार्थना पत्र पेश कर अपने वाद को इसी स्तर पर	

## FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 15)

अज अदालत \_\_\_\_\_ मुकाम \_\_\_\_\_

बनाम \_\_\_\_\_

किस्म मुकदमा \_\_\_\_\_ नं. \_\_\_\_\_ सन् \_\_\_\_\_

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये
	<p>खारिज कराना चाहता है। अतः वाडी का वाड पर इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। पठावली कैसल शुमार लेकर शाखिल इफ्तार है।</p>	